



डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय उ0प्र0

सेक्टर-11, जानकीपुरम विस्तार योजना, लखनऊ-226031

पत्रांक: ए0के0टी0यू0 / यूपीटीएसी-2025 / 2359

दिनांक 22 मई, 2025

NOTIFICATION / अधिसूचना

माननीय कार्यपिद के 51वीं बैठक दिनांक 11.03.2025 निर्णय के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश हेतु उ0प्र0 तकनीकी प्रवेश काउंसलिंग (UPTAC) प्रक्रिया का निर्धारण निम्नवत किया गया है:-

1. प्रवेश परीक्षा

ए0के0टी0यू0, लखनऊ से सम्बद्ध संस्थानों, घटक संस्थानों/ संकाय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में प्रवेश राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा एवं अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के माध्यम से निम्न तालिका में वर्णित वरीयता के अनुरूप होंगे:-

सारिणी 1

क्र 0	कार्यक्रम	मुख्य काउंसलिंग हेतु प्रवेश परीक्षा वरीयता	विशेष काउंसलिंग हेतु वरीयता
1	B Tech(All Branches)	1) JEE (Main)-2025,	1) JEE (Main)-2025, 2) CUET UG 2025 3) Intermediate (10+2)
2	M Tech (Integrated)		
3	B Arch	1) NATA-2025 2) JEE (Main)-2025	1) NATA-2025 2) JEE (Main)-2025
4	B Des	CUET UG -2025	1) CUET UG 2025 2) Intermediate (10+2)
5	B Pharm.		
6	Pharm D		
7	BHMCT		
8	BFAD		
9	BFA		
10	MBA (Integrated)		
11	MCA (Integrated)		
12	BBA		
13	BCA		
14	B Tech Lateral	CUET UG -2025	1) CUET UG -2025 2) Diploma in Engineering 3) Bachelor in Science 4) D Voc.
15	B Pharm. Lateral		1) CUET UG -2025 2) Diploma in Pharmacy
16	MBA	CUET PG -2025	1) CUET PG -2025 2) Graduation Degree as as applicable
17	MBA Lateral		
18	MCA		
19	MCA Lateral		
Counselling for Courses mentioned below will be conducted by the the respective Institutions			
1	M Tech	1) GATE 2025, 2)CUET PG -2025, 3) Institute Level Exam 4) Eligibility Criteria as applicable	
2	M Pharma	1) GPAT 2025, 2)CUET PG -2025, 3) Institute Level Exam 4) Eligibility Criteria as applicable	
3	M Des, M Arch, M PLAN, MURP	1) CEED2025, 2)CUET PG -2025, 3) Institute Level Exam 4) Eligibility Criteria as applicable	

2. प्रवेश वरीयता क्रम

- a. सर्व प्रथम ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं अथवा जिन्होंने प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो अथवा केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों की संतान, जिनकी तैनाती उत्तर प्रदेश में स्थित कार्यालय में हो, को प्रवेश आवंटन में वरीयता दी जाएगी।
- b. उपरोक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को मुख्य काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश देने के बाद यदि प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रहते हैं तो समस्त अभ्यर्थियों (उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के) को विशेष काउंसलिंग के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा।

3. स्वास्थ्य

प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश लेने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। शैक्षिक योग्यता के आधार पर अर्ह दिव्यांग जन को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के शासनादेश के अनुसार समय-समय पर देय आरक्षण एवं सुविधाओं का लाभ अनुमन्य होगा।

4. काउंसलिंग प्रक्रिया

- a. ए0के0टी0यू0, लखनऊ से सम्बद्ध समस्त संस्थानों, घटक संस्थानों/ संकायमें समस्त सीटों (मैनेजमेंट कोटा के अतिरिक्त) पर प्रवेश केवल काउंसलिंग के माध्यम से ही होगा।
- b. काउंसलिंग के समस्त चरण ऑनलाइन होंगे। काउंसलिंग के समस्त चरणों को प्रक्रिया के आधार पर दो भागों में विभक्त किया गया है :-

i. मुख्य काउंसलिंग

1. मुख्य काउंसलिंग हेतु सारिणी1 में उल्लिखित प्रवेश परीक्षा वरीयता प्रथम(उदाहरण: B Tech हेतु JEE Mains 2025) के आधार पर ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं अथवा जिन्होंने प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो अथवा केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों की संतान, जिनकी तैनाती उत्तर प्रदेश में स्थित कार्यालय में हो सम्मिलित होंगे।

ii. विशेष काउंसलिंग

1. मुख्य काउंसलिंग के उपरांत रिक्त सीटों छात्र एवं सारिणी1 में उल्लिखित प्रवेश परीक्षाओं एवं अर्हकारी परीक्षा के आधार पर समस्त अभ्यर्थी (उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के) आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने काउंसलिंग में, अभी तक पंजीकरण ना किया हो, सीट ना आवंटित हुई हो या सीट काउंसलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन withdrawal कर लिया गया हो।
2. विशेष काउंसलिंग में मुख्य काउंसलिंग के फिजिकल रिपोर्टिंग कर चुके छात्रों को आवंटित संस्थान में चॉइस उच्चीकरण का अवसर दिया जायेगा।

c. काउंसलिंग के चरण

- i. मुख्य काउंसलिंग में चार चरण होंगे। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु पंजीकरण केवल प्रथम चरण में ही उपलब्ध होगा जिसका आवेदन शुल्क रु 1000 होगा जिसे ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से जमा कराया जायेगा।
- ii. विशेष काउंसलिंग में अभ्यर्थियों हेतु पंजीकरण का विकल्प उपलब्ध होगा जिसका आवेदन शुल्क रु 1000 होगा जिसे ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से जमा कराया जायेगा।

- iii. पंजीकरण के उपरांत डॉक्यूमेंट सत्यापन का कार्य ऑनलाइन सम्पादित होगा जिसके उपरांत ही अभ्यर्थी चॉइस भर सकेंगे।
 - iv. सीट का आवंटन ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा संपन्न होगा। प्रथम बार सीट आवंटन की स्थिति में कन्फर्मेशन शुल्क रु20,000 (सामान्य, EWS, अन्य पिछड़ा वर्ग) एवं रु 12,000 (अनुसूचित जाति एवं जनजाति) ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।
 - v. राउंड २ से प्रत्येक राउंड के आवंटन के उपरांत पोर्टल पर withdrawal विकल्प उपलब्ध होगा।
 - vi. सीट withdrawal विकल्प प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों को रु 1000 की कटौती करते हुए कन्फर्मेशन शुल्क ऑनलाइन वापस किया जायगा।
 - vii. विशेष काउंसलिंग आवश्यकता अनुसार रिक्त बची सीटों हेतु सम्पादित की जाएगी। समस्त रिक्त सीटें उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होंगी।
5. अभ्यर्थियों का आवंटित संस्थान में Physical Reporting करना
- i. मुख्य काउंसलिंग के चरण 4 में आवंटित संस्थान में समस्त आवश्यक अभिलेखों एवं संस्थान फीस के साथ अभ्यर्थी को आवंटित संस्थान में Physical Report करना अनिवार्य होगा। Physical Report ना करने की दशा में आवंटित सीट रिक्त मानी जाएगी एवं अभ्यर्थी द्वारा इस पर कोई अधिकार नहीं होगा।
 - ii. विशेष काउंसलिंग के प्रत्येक चरण में आवंटित संस्थान में Physical Reporting करना अनिवार्य होगा।
6. अप्रवासी भारतीय/कश्मीरी कोटा में प्रवेश हेतु :-
- अप्रवासी भारतीय/कश्मीरी कोटा की सीटों को सारिणी 1 में उल्लिखित प्रवेश परीक्षा एवं उसके पश्चात् अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर केन्द्रीयकृत काउंसलिंग द्वारा भरी जायेंगी।
7. विदेशी छात्रों हेतु :-
- a. संस्थाओं में योग्य Foreign Nationals (FN), Persons of Indian Origin (PIO), Overseas Citizen of India (OCI) & Children of Indian Workers in Gulf Countries (CIWGC) का प्रवेश ए०आई०सी०टी०ई०/नियामक संस्था द्वारा अधिसंख्य सीटों के सृजन के अनुसार किया जायेगा।
 - b. संस्थाओं में Foreign Nationals (FN), Persons of Indian Origin (PIO), Overseas Citizen of India (OCI) & Children of Indian Workers in Gulf Countries (CIWGC) छात्र/छात्राओं द्वारा प्राप्त वह शैक्षिक अहर्ता मान्य होगी, जिसका भारत में 10+2 के समतुल्य समकक्षता ए०आई०सी०टी०ई०/भारत सरकार/एसोसिएशन आफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा स्थापित की गयी हो।
8. रूरल वेटेज की व्यवस्था शासन के पत्र संख्या 208792/2022/16-1099/28/2022 दिनांक 02-09-2022 के अनुरूप रहेगी।
9. प्रवेश प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों के आरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत नवीनतम शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।
10. ए०के०टी०यू०, लखनऊ से सम्बद्ध संस्थानों, घटक संस्थानों/ संकाय में प्रवेश हेतु अर्हकारी अहर्ता एक समान एवं सम्बंधित नियामक संस्था (AICTE, CoA, PCI etc.) के अनुरूप होगी।
11. प्रवेश की अंतिम तिथि के उपरांत किसी भी दशा में कोई प्रवेश नहीं होंगे।

12. ए0के0टी0यू0,लखनऊ से सम्बद्ध संस्थानों, घटक संस्थानों/ संकायकी पाठ्यक्रम वार एवं वर्ग वार सीट मैट्रिक्स तैयार की जाएगी, जिसके सापेक्ष सीट आवंटन किया जायेगा एवं सीट मैट्रिक्स पोर्टल पर अपलोड होगी।
13. ए0के0टी0यू0,लखनऊ से सम्बद्ध संस्थानों, घटक संस्थानों/ संकाय के समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश सिर्फ उ0प्र0 तकनीकी प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से योग्यता क्रम के अनुसार ही होगा। प्रवेश का कोई अन्य माध्यम उपलब्ध/मान्य नहीं होगा।
14. काउंसलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थी हेतु सत्र विशेष के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने के प्रकरण अथवा आवंटित संस्थान में यदि अभ्यर्थी की काउंसलिंग के माध्यम से संस्था/पाठ्यक्रम आवंटन के पश्चात् सम्बंधित संस्थान में किसी भी प्रकार की परेशानी अथवा प्रवेश नहीं दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसके दावे की जाँच कराने के पश्चात् सम्बंधित संस्थान में प्रवेश हेतु कार्यवाही करायी जाएगी एवं ऐसी संस्थान के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
15. काउंसलिंग प्रक्रिया में पंजीयन प्रवेश परीक्षा (JEE Mains/CUET UG/CUET PG/ NATA) के परिणाम प्राप्त होने के 7 दिवस में आरम्भ करी जाएगी एवं 14 अगस्त 2025 तक पूर्ण कर ली जाएगी, एवं अकादमिक सत्र 15 अगस्त 2025 से प्रारंभ होगा।
16. काउंसलिंग प्रक्रिया आनलाइन सम्पादित कराई जायेगी एवं विस्तृत समय सारिणी वेबसाइट पर प्रेषित की जाएगी।



कुलसचिव